न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः–422/2017 (RCMS No. 2017/00448) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. हरिशंकर
2. ओमप्रकाश

पुत्रगण गोपाल जाति ब्राहमण निवासी ऐचेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्टस

बनाम

1. शान्ति पुत्री गोपाल पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी मामडोली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
2. सायर उर्फ शारदा पत्नी सीताराम जाति ब्राहमण निवासी डिडवाड तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर
3. रामेश्वर पुत्र गोपाल जाति ब्राहमण निवासी ऐचेरा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. सरकार जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाडा

.....रैस्पोडैन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर दिनांक 07.06.17 व नामा0 संख्या 10 दिनांक 23.08.1998 वाके ग्राम ऐचेरा तहसील चौथ का बरवाडा

उपस्थितिः–

1. श्री श्याम मोहन शर्मा, वकील अपीलान्टस
2. श्री सुधीर कुमार जैन, वकील रैस्पोडैन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नि र्ण य **दिनांक :–31.07.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 07.06.17 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि गोपाल पुत्र हरनाथ ब्राहमण के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण सं0 10 ग्राम ऐचर तहसील चौथ का बरवाडा तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.08.98 को हरीशंकर, रामेश्वर, ओमप्रकाश पिसरान गोपाल ब्राहमण के नाम दर्ज किया गया। मृतक गोपाल की दो लड़कियों शान्ती देवी एवं सायर उर्फ शारदा ने उक्त नामा0 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि तहसीलदार ने आदेश पारित करते समय मृतक गोपाल पुत्र हरनाथ के

विधिक वारिसान की पूर्ण जॉच नही की है। अतः अपील स्वीकार कर तहसीलदार को इस निर्देश के साथा प्रतिप्रेषित कर दिया कि मृतक गोपाल पुत्र हरनाथ जाति ब्राहमण निवासी एचेर के विधिक वारिसान की पुनः जॉच कर मृतक गोपाल के विधिक वारिसान के नाम नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज फैसल किया जावे। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

विद्वान वकील अपीलान्ट का तर्क है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय जिसमें निर्धारित किया है कि वर्ष 2005 से पूर्व पिता से पुत्रों के नाम खोले गये नामान्तरकरण को, नामान्तरकरण अपील के जरिये संशोधित नही किया जा सकता है। यदि कोई पक्षकार का उक्त आराजी में हित है तो सक्षम न्यायालय में दावा दायर कर अनुतोष लिया जा सकता है। वकील अपीलान्ट ने 2008 डीएनजे (सुप्रीम कोर्ट) 852 पेश करते हुऐ तर्क दिया कि उत्तराधिकार के विवाद को दाखिल खारिज की कार्यवाही में निर्णित नही किया जा सकता है बल्कि ऐसे मामलों में नियमित वाद कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। उनका तर्क है कि नामान्तकरण एक सरसरी कार्यवाही है इससे अधिकार प्राप्त नही होते हैं नियमित वाद वाद करना चाहिये तथा नियमित वाद के निस्तारण तक नामा. की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये। जैसाकि 2005 आरआरटी (1) 665 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। वर्ष 2005 से पहले खोले गये विरासत के नामान्तरकरण में महिलाओं को कोई अधिकार नही था। अपीलान्ट समय समय पर अपनी बहिनों को भात जामना इत्यादि देते रहे हैं। उनका तर्क है कि तहसीलदार चौथ का बरवाडा ने नामान्तरकरण नियमों के तहत मृतक गोपाल की विरासत का दर्ज किया है इसमें कोई कानूनी त्रुटि नही है। नामान्तरकरण एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें हक, हकूक व अधिकार तय नही होते हैं। उनका यह भी तर्क है कि विवादित नामा0 वर्ष 1998 में दर्ज हुआ है जिसकी अपील वर्ष 2015 में पेश की थी। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 के संबंध में कोई निर्णय पारित नही किया है। जबकि मियाद अधिनियिम के तहत मैरिट पर निर्णय से पूर्व मियाद के प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाना चाहिये। रैस्पो0 की अपील मियाद बाहर थी। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही होने से निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील रैस्पो0 का तर्क है कि मृतक गोपाल पुत्र हरनाथ ब्राहमण की विरासत का नामान्तरकरण सं0 10 तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.08.98 को हरीशंकर, रामेश्वर, ओमप्रकाश पिसरान गोपाल ब्राहमण के नाम दर्ज किया गया। जबकि मृतक गोपाल की दो लडकियॉ शान्ती देवी एवं सायर उर्फ शारदा भी थी। तहसीलदार ने मृतक गोपाल की विरासत की जॉच किये बिना ही नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक गोपाल पुत्र हरनाथ जाति ब्राहमण निवासी एचेर के विधिक वारिसान की पुनः जॉच कर मृतक गोपाल के विधिक वारिसान के नाम नये सिरे से नामा0 भरकर दर्ज करने के आदेश दिये हैं जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। उनका यह भी तर्क है कि पिता की सम्पत्ती में उसके सभी वारिसान पुत्र, पुत्रियां व पत्नि का समान अधिकार है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने जो निर्णय पारित किया है वह उचित है। अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्धान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नामा0 स0 10 में दर्ज विवादित आराजी ग्राम ऐचर तहसील चौथ का बरवाडा के खातेदार गोपाल पुत्र हरनाथ ब्राहमण के फौत होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तहसीलदार द्वारा दिनांक 23.08.98 को हरीशंकर, रामेश्वर, ओमप्रकाश पिसरान गोपाल ब्राहमण के नाम दर्ज किया गया। मृतक गोपाल की दो लड़कियों शान्ती देवी एवं सायर उर्फ शारदा ने उक्त नामा0 के विरूद्ध अपील वर्ष 2015 में पेश की है। शांती वगैरहा ने प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून मियाद पेश किया है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र के संबंध में कोई निर्णय पारित नही किया है। जबकि शांती वगैरहा ने 17 वर्ष बाद अपील पेश की थी। अपील मियाद बाहर थी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय उचित नही है। जहॉ तक विरासत का प्रश्न है। पक्षकारों के मध्य उत्तराधिकार के संबंध में विवाद है। जिसका निस्तारण नामान्तरकरण के जरिये तय नही किया जा सकता है। नामान्तरकरण एक संक्षिप्त प्रकिया है जिसमें गोद, वसीयत जैसे उत्तराधिकार के जटिल बिन्दुओं का निस्तारण नही किया जा सकता है। हम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रूलिंग 2008 डीएनजे (सुप्रीम कोर्ट) 852 एवं 2005 आरआरटी (1) 665 से सहमत है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि उत्तराधिकार के विवाद को दाखिल खारिज की कार्यवाही में निर्णित नही किया जा सकता है बल्कि ऐसे मामलों में नियमित वाद कर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। नामान्तकरण एक सरसरी कार्यवाही है इससे अधिकार प्राप्त नही होते हैं, नियमित वाद दायर करना चाहिये तथा नियमित वाद के निस्तारण तक नामा0 की कार्यवाही को स्थगित रखा जाना चाहिये। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि रैस्पो0 ने 17 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की है जो स्पष्टतः मियाद बाहर है। 17 वर्ष की देरी का कोई उचित कारण नही दिया है तथा उत्तराधिकार के विवाद का निस्तारण नामान्तरकरण के जरिये नही किया जा सकता है। पक्षकारों को नियमित दावा दायर कर ही अनुतोष प्राप्त करना चाहिये। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत् नही होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.06.2017 निरस्त किया जाता है। पक्षकार सक्षम न्यायालय में दावा दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा कराने के लिये स्वतंत्र हैं।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official